

ओरछा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय हरति अधीकरण (National Green Tribunal- NGT)** ने ओरछा वन्यजीव अभयारण्य के **इको-सेंसिटिवि ज़ोन** में पत्थर तोड़ने वाले और खनन खदानों के **अवैध संचालन** की शिकायत पर गौर करने के लिये एक समिति का गठन किया।

मुख्य बंदि:

- NGT के अनुसार, **337 टन रासायनिक अपशषिट के नपिटान, भुजल परदूषण**, पाइप से पानी की कमी और अनुमेय सीमा से अधिक **लौह, मैंगनीज़ तथा नाइट्रेट सांद्रता** की नगिरानी के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- इसकी स्थापना वर्ष **1994** में हुई थी और यह एक बड़े वन क्षेत्र के भीतर स्थिति है।
- यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्र में **बेतवा नदी** (यमुना की एक सहायक नदी) के पास स्थिति है, जो इस अभयारण्य के अद्वितीय पारस्थितिकी तंत्र तथा जैवविधिता में योगदान देती है।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016)** ने निर्धारित किया कि राज्य सरकारों को **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत **राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 कमी. के भीतर** आने वाली भूमिको **पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs)** अथवा पर्यावरण नाजुक क्षेत्र के रूप में घोषित करना चाहिये
- जबकि **10 कमी. का नयिम** एक सामान्य सदिधांत के रूप में लागू किया गया है, इसके आवेदन की सीमा भिन्न हो सकती है। 10 कमी. से अधिक के क्षेत्रों को भी **केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है**, यदयिे बड़े पारस्थितिकी रूप से महत्त्वपूर्ण **"संवेदनशील गलधियारे"** रखते हैं।